

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. 6192-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ४ सन् २०१०

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. प्रोद्धारण का संशोधन.
३. वृहद् शीर्षक का संशोधन.
४. धारा १ का संशोधन.
५. धारा २ का संशोधन.
६. धारा ३ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१०

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१०.

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१० है. संक्षिप्त नाम.
२. महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धारण में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं. प्रोद्धारण का संशोधन.
३. मूल अधिनियम के वृहद् शीर्षक में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं. वृहद् शीर्षक का संशोधन.
४. मूल अधिनियम की धारा १ में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं. धारा १ का संशोधन.
५. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ज) में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं. धारा २ का संशोधन.
६. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—
 (एक) पार्श्व शीर्ष में, "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं;
 (दो) उपधारा (१) में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संस्कृत भाषा को विकसित करने की दृष्टि से और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और उसके प्रसार के लिए महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) के अधीन उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है.

२. संस्कृत का प्राचीन स्वरूप भारतीय पुराणशास्त्र के वेदों में अंतर्विष्ट है. संस्कृत, वेदों की एकमात्र भाषा है. संस्कृत को सीखने और उसका ज्ञान अर्जित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वेदों को उनके मूल स्वरूप में जाना जाए. अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में उपयुक्त संशोधन द्वारा शब्द "वैदिक" अंतःस्थापित किया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ९ मार्च, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.